राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1241/2023

भुपेन्द्र सिंह (कर्मचारी आई.डी.– आरजेडीएच200614011349)

–अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 10.04.2022
आदेश की दिनांक : 10.05.2023

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री तनवीर अहमद, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : डॉ. लक्ष्मण सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

2. इस अपील में अपीलार्थी ने आदेश दिनांक 17.03.2023 को चुनौती दी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी जो कि कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत है, उन्हें चिकित्सा अधिकारी प्रभारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, वैर जिला भरतपुर के द्वारा कार्यमुक्त कर अपनी उपस्थिति कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भरतपुर के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिये हैं। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि चिकित्सा अधिकारी प्रभारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, वैर भरतपुर द्वारा आलौच्य आदेश पारित किया गया है, वो अपीलार्थी को कार्यमुक्त करने के लिए समक्ष अधिकारी नहीं है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह भी तर्क रहा है कि अपीलार्थी को जिस आधार पर कार्यमुक्त किया गया है, वह आधार उचित नहीं है। अपीलार्थी के विरूद्ध कोई शिकायत थी तो उसके विरूद्ध नियमानुसार जांच कार्यवाही की जाती। परंतु अपीलार्थी को

एपीओ किया जाना उचित नहीं है। अपीलार्थी को कोई नोटिस नहीं दिया गया था। अपीलार्थी को बिना सुनवाई किये एपीओ किया गया है।

3. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि आक्षेपित 17.03.2023 पूर्णतः प्रशासनिक आवश्यकताओं व व्यापक जनहित को देखते हुये नियमानुसार राज्यहित में जारी गया है, उक्त आदेश में किसी भी प्रकार से अवैधता एवं नियमो का उल्लघंन नही तथा ना ही आदेश दुर्भावनापूर्ण आशय से जारी किया गया। यह भी तथ्य अंकित किये हैं कि अपीलार्थी द्वारा माह मार्च 2023 में बिना प्रत्यर्थी संख्या 4 के संज्ञान में लायें 1150000/– स्वयं ही प्रत्यर्थी संख्या 4 के हस्ताक्षर कर भुगतान हेतु कोषालय में भेज दिये तब उपकोषाधिकारी द्वारा दूरभाष पर अवगत कराने पर पता चला जो कि एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। उक्त कार्मिक का आहरण वितरण अधिकारी प्रत्यर्थी संख्या 4 है जिसने उच्चाधिकारियों से दूरभाष पर वार्ता करने के उपरान्त अपीलार्थी को एपीओ किया गया क्योंकि अपीलार्थी रिकॉर्ड में हेरा–फेरी कर जांच को प्रभावित न करें। अपीलार्थी द्वारा 1150000/– के बिल भेजना व जाली हस्ताक्षर करना एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता व जालसाजी के श्रेणी में आता है। इसलिए प्रत्यर्थी संख्या 4 ने अपीलार्थी को उच्चाधिकारियों से निर्देश प्राप्त कर कार्यमुक्त किया।

4. दोनों पक्षों के विचारों को सुना गया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया गया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से यह तर्क है कि आलौच्य आदेश सक्षम अधिकारी द्वारा पारित नहीं किया गया है। प्रत्यर्थी विभाग का यह कथन रहा है कि अपीलार्थी द्वारा 1150000/– का बिल पर जालसाजी फर्जी हस्ताक्षर किये गए, जो गंभीर अनियमितता थी। इस कारण से उच्च अधिकारियों से दूरभाष पर वार्ता करने के उपरांत अपीलार्थी एपीओ किया गया, जो कि रिकॉर्ड में हेराफेरी कर जांच में परिवर्तन नहीं कर सके। अधिकरण के समक्ष जो तथ्य प्रस्तुत हुये हैं, उनसे प्रकट होता है कि अपीलार्थी को एपीओ करने का उचित कारण रहा है एवं उच्च अधिकारियों को संज्ञान में लाने के पश्चात ही एपीओ आदेश पारित किया गया है। अपीलार्थी को एपीओ करने का जो कारण रहा है, वह गंभीर प्रकृति है। जिस कारण से आलौच्य आदेश में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

5. अतः परिणामस्वरूप अपील खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)